



HAPUR POLICE



OPERATION CONVICTION

हापुड़ पुलिस द्वारा मा0 न्यायालय में प्रभावी, सशक्त पैरवी करते हुए बाईक लूट की घटना करने व पुलिस पार्टी पर जानलेवा हमला करने के एक आरोपी को 03 वर्ष का साधारण कारावास व 10,000/- रुपये के अर्थदण्ड से दंडित कराया

पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 महोदय द्वारा चलाये जा रहे “ऑपरेशन कन्विक्शन” अभियान के अन्तर्गत आरोपियों को न्यूनतम समय में सजा दिलाए जाने के क्रम में हापुड़ पुलिस द्वारा गुणवत्तापूर्ण विवेचना तथा अभियोजन व मॉनीटरिंग सेल द्वारा प्रभावी पैरवी करते हुए आज दिनांक 14.05.2025 को मा0 न्यायालय द्वारा बाईक लूट की घटना करने व पुलिस पार्टी पर जानलेवा हमला करने के एक आरोपी को दंडित कराया गया है, जिसका विवरण निम्नवत् है-

- क्रमशः दिनांक 08.06.2020 व 11.06.2020 को अभियुक्तगण शहनवाज पुत्र हाजी भूरा निवासी सिकंदरगट थाना हापुड़ नगर जनपद हापुड़ द्वारा बाईक लूट की घटना करने व पुलिस पार्टी पर जानलेवा हमला किया गया था, जिसके सम्बन्ध में थाना हापुड़ नगर पर मु0अ0सं0 374/2020 धारा 392, 411 भादवि व मु0अ0सं0 378/2020 धारा 307 भादवि पंजीकृत किया गया था तथा दिनांक 06.08.2020 को आरोप पत्र मा0 न्यायालय प्रेषित किया गया ।
- आज दिनांक 14.05.2022 को अभियुक्त उपरोक्त को मा0 न्यायालय हापुड़ एडीजे एफटीसी द्वितीय हापुड़ द्वारा 03 वर्ष का साधारण कारावास व 10,000/- रुपये के अर्थदण्ड की सजा सुनाई गई ।
- अभियोजन विभाग से श्री आशीष कश्यप (शासकीय अधिवक्ता) व विवेचक उ0नि0 सुबोध कुमार सक्सैना एवं पैरोकार म0का0 अंजू व कोर्ट मोहरीर का0 दुष्यन्त राठी का विशेष योगदान रहा ।

